न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 12/2018 (2018/00166) दायर दिनांक 17.01.2018
वाद अन्तर्गत धारा 88,89 92क,188 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. श्रीमती प्यारी पुत्री नाथू कुमावत पत्नि जालूराम निवासी मटुनिया हाल निवासी चावण्डिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. श्रीमती धापुबाई पुत्री नाथू कुमावत पत्नि खेमा कुमावत निवासी मटुनिया हाल निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती चांदी देवी पुत्री नाथू कुमावत पत्नि मोडा कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वदीयागण

बनाम

1. भैरूलाल पिता नारू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. बंशीलाल पिता नारू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. जमनी पुत्री नारू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. मांगु पिता नाथू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. मांगु पिता कजोड़ कुमावत फौत के बजाए–
   5/1 कंकु बेवा मांगु कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
   5/2 कालु पिता मांगु कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
   5/3 राजु पिता मांगु कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
6. डालु पिता कजोड़ कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–अधिवक्ता वादीगणः– श्री [illegible]
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–श्री [illegible] (प्रतिवादी सं0 1,2,3,6)
श्री [illegible] सं0 5/1 से 5/3)
[illegible] सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 25.09.2020

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मटुनिया तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में हम वादीयागण के पिता नाथू एवं काका नंदा, खातेदार नाथू, नंदा पिता गंगाराम कुमावत के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की साबिक आराजी सं0 143रकबा 02 बिस्वा, आराजी सं0 305 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 332 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, आराजी सं0 385 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 388 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 403 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 424/2 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 468 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 485 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा भूमि खाता संख्या 45 पर स्थित है। प्रमाण के लिये जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 तक प्रस्तुत है।

यह कि वादियागण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्नानुसार है:—

```
                                गंगाराम
                                   I
I--------------------------------------------------------------I
नाथू                                                          नंदा
  I
I--------I--------I--------I---------I--------I
नारू     मांगू      मगू      प्यारी      धापु      चांदी
I                (पुत्री)   (पुत्री)   (पुत्री)   (पुत्री)
I                  I
I           I---------I
I         मांगु       डालु
I
I-------I---------I
भैरू    बंशी        जमनी
```

यह कि तत्कालीन खातेदार नाथू, नंदा पिता गंगाराम का आपस में स्वैच्छिक बंटवारा हो गया है। एंव साबिक आराजियात का 1/2 – 1/2 हिस्सा नाथू व नन्दा के नाम पर हो गया है। इसी प्रकार बंटवारे अनुसार साबिक नं0 के नये नम्बर आराजी संख्या 594/2019 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1336 रकबा 0.55 हे0, आराजी संख्या 1339 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 1649 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1665 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1668 रकबा 0.37 हे0, आराजी संख्या 1670 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1672 रकबा 0.2 हे0, आराजी संख्या 1693 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 16[illegible] रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय अधिकारी)

Scanned with CamScanner

1695 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 1793 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1794 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 1795 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1971 रकबा 0.72 हे0, आराजी संख्या 1973 रकबा 0.30 हे0, आराजी संख्या 1974 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 1975 रकबा 0.28 हे0, आराजी संख्या 1976 रकबा 0.27 हे0, आराजी संख्या 1977 रकबा 0.93 हे0, आराजी संख्या 1979 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 2022 रकबा 0.35 हे0, आराजी संख्या 2076 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 26 कुल रकबा 6.42 हे0 एवं आराजी संख्या 1664 रकबा 0.30 हे0 बने जिसके खाता संख्या क्रमशः 115, 121 है, जो तत्कालीन खातेदार मृतक नाथू के हिस्से में आई है। एवं वर्तमान में विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4 खातेदार है प्रमाण में क्षेत्रफल व चालु जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां साथ प्रस्तुत है।

यह कि खातेदार नाथू की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात का विरासत का नामान्तरकरण गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 के पिता नारू एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर खोल दिया गया है। जिससे कलम संख्या 3 में वर्णित आराजियात के खातेदार वर्तमान में प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 3 व 4 है, एवं कलम संख्या 3 में वर्णित नवीन आराजीयात पर हम वादीयागण अपने पिता नाथू जी के समय से ही पृथक्– पृथक् रूप से 1/6 – 1/6 हिस्से पर काबिज होकर काश्त लाभ ले रही है। एवं इसी अनुसार वर्तमान खाता संख्या 121, 115 में वर्णित कलम संख्या 3 पर अंकित समस्त आराजियात पर 1/6 – 1/6 हिस्से की पृथक– पृथक घोषणा कराये जाने की अधिकारीणी है।

यह कि हम वादीयागण के पिता नाथू की मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त सजरेनुसार हम वादीयागण मृतक नाथू की जायन्दा पुत्रीयां होकर प्रथम श्रेणी के वारिस है, किन्तु हमारे पिता नाथू मृत्यु के बाद ईन्तकाल गलत रूप से केवल हमारे भाई नारू व मांगु के नाम पर खोल दिया गया है।

यह कि राजस्व कर्मचारीयों ने हम वादीयागण को सुने जाने का अवसर नहीं दिया तथा न ही मृतक नाथू के विधिक वारीसान के संबंध में जांच की है। केवल कागजी खानापूर्ति करके मृतक नाथू के केवल 2 पुत्र संतान बताकर इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 ग्राम पंचायत उल्लाई गलत रूप से नारू व मांगु के नाम पर खोल दिया गया है। जबकि हम वादीयागण भी मृतक नाथू की पुत्रीयां होकर प्रथम श्रेणी की वारीसान है। जिससे इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 ग्राम पंचायत उल्लाई को निरस्त कराये जाने की घोषणा कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मृतक नाथू के नाम पर [illegible] संख्या 1, 2, 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर [illegible] से दर्ज हो गई है। एव हम वादीयागण मृतक नाथू की पुत्रीयां होने से नारू व मांगु के समान हिस्सेदार है एवं इसी हिस्सेनुसार हम वादीयागण नाथू के हक अधिकार की समस्त आराजियात पर पृथक – पृथक 1/6 हिस्से की घोषणा कराये जाने की अधिकारीणी है।

3.

तहसीलदार / कलेक्टर
(भू-अभिलेख अधिकारी)
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादीयागण ने प्रार्थना की है कि :–

यह कि खातेदारी अधिकार की घोषणा बहक वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे, कि ग्राम मटुणिया तहसील सहाड़ा की बेरून हल्का आबादी में स्थित साबिक नं0 के नये नम्बर आराजी संख्या 594/2019 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1336 रकबा 0.55 हे0, आराजी संख्या 1339 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 1649 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1665 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1668 रकबा 0.37 हे0, आराजी संख्या 1670 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1672 रकबा 0.2 हे0, आराजी संख्या 1693 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 1793 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1794 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 1795 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1971 रकबा 0.72 हे0, आराजी संख्या 1973 रकबा 0.30 हे0, आराजी संख्या 1974 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 1975 रकबा 0.28 हे0, आराजी संख्या 1976 रकबा 0.27 हे0, आराजी संख्या 1977 रकबा 0.93 हे0, आराजी संख्या 1979 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 2022 रकबा 0.35 हे0, आराजी संख्या 2076 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 26 कुल रकबा 6.42 हे0 एवं आराजी संख्या 1664 रकबा 0.30 हे0 बने जिसके खाता संख्या क्रमशः 115, 121 में हम वादीयागण पृथकतः 1/6 – 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। तद्नुसार उक्त आराजियात को राजस्व रिकार्ड में हम वादीयागण के खातेदारी हक अधिकार में दर्ज कराई जावें।

यह कि वादीयागण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि ग्राम मटुणिया तहसील सहाड़ा की बेरून हल्का आबादी में स्थित साबिक नं0 के नये नम्बर आराजी संख्या 594/2019 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1336 रकबा 0.55 हे0, आराजी संख्या 1339 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 1649 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1665 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1668 रकबा 0.37 हे0, आराजी संख्या 1670 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1672 रकबा 0.2 हे0, आराजी संख्या 1693 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 1793 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1794 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 1795 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1971 रकबा 0.72 हे0, आराजी संख्या 1973 रकबा 0.30 हे0, आराजी संख्या 1974 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 1975 रकबा 0.28 हे0, आराजी संख्या 1976 रकबा 0.27 हे0, आराजी [illegible] रकबा 0.93 हे0, आराजी संख्या 1979 रकबा 0.21 हे0, आराजी [illegible] 022 रकबा 0.35 हे0, आराजी संख्या 2076 रकबा 0.20 [illegible] 6.42 हे0 एवं आराजी संख्या 1664 रकबा 0.30 [illegible] संख्या क्रमशः 115, 121 को गलत रूप से केवल प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज किया गया है, से वादीयागण को बेदखल नही करे तथा न ही उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की नाजायज कब्जे की कार्यवाही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि हम वादीयागण मृतक नाथू की पुत्रीयां होकर प्रथम श्रेणी की वारीसान है, एवं इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 केवल प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर गलत रूप से खोल दिया गया है, जिससे इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 ग्राम पंचायत उल्लाई विधि के विपरीत होने से खारिज किये जाने की घोषणा कराई जावें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 6 एवं 5 के कायम मु0 के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित जिससे उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एंव 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादीयागण के वाद पत्र की कलम संख्या 1 लगाायत 6 स्वीकार की है व कलम संख्या 7 न्यायिक है। कलम संख्या 8 स्वीकार है। कलम संख्या 9 अस्वीकार की है, कलम संख्या 10 लगायत 16 को न्यायिक बताया है व कलम संख्या 17 को स्वीकार कर वादीयागण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु एवं मगु के पुत्र डालु का भी हिस्सा दर्ज कराने हेतु निवेदन किया हैं। प्रतिवादी संख्या पांच के कायम मु0 5/1 लगायत 5/3 के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादियागण का वादपत्र डिक्री किया जावें तो हम प्रतिवादीगण को काई आपत्ति नहीं है तथा मगु के पुत्र मृतक मांगु के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5/1 लगायत 5/3 का भी हिस्सा दर्ज कराने हेतु निवेदन किया एवं वादीयागण का वादपत्र डिक्री फरमाया जावें। पेरोकार सरकार द्वारा औपचारिक पक्षकार बताया जाकर काई जवाब नहीं देना चाहा अतः जवाब देही बंद की जाती है।

वादपत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की गईः–

1. आया ग्राम मटुनिया के बैरून हल्का आबादी में नवीन आराजी संख्या जो वादपत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित है, नाथू पिता गंगाराम कुमावत के हिस्से में आयी थी ।

   .... जिम्मे वादीयागण

2. आया नाथू मृत्यु के बाद गलत रूप से इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर गलत रूप से खोल दिया जबकि वादियागण मृतक नाथू की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर वादग्रस्त आराजियात में से पृथक 1/6 हिस्से की खातेदार घोषित कराने की अधिकारीणी है।

   ..... जिम्मे वादीयागण

3. आया इन्तकाल संख्या 25 दिनांक 05.10.1977 ग्राम पंचायत उल्लाई द्वारा मृतक नाथू के पुत्र जताकर गलत रूप से खोल दिया, हम वादियागण भी मृतक नाथू की पुत्रियां होकर वारिसान एवं इन्तकाल संख्या 75 निरस्त होने योग्य है।

   ..... जिम्मे वादीयागण

4. आया प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 6 वादिया को वादग्रस्त की भूमि से बेदखल नहीं करना चाहते हैं व उन्हें अधिकार देते है।

   ..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

5.

उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)

Scanned with CamScanner

वादपत्र में तनकियात कायम किये जाने के बाद साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादीयागण द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1, 2 लेखबद्ध करा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2031–2034 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2, चालु जमाबंदी संवत् 2073–76 प्रदर्श –3, नामान्तरण संख्या 75 प्रदर्श –4 का अवलोकन कराते हुये जिरह प्रतिवादीगण अधिवक्ता करने पर वादिया चांदी ने कथन किया कि मेरे पिताजी की जमीन मटुनिया में है। जिसमें खेतीबाड़ी मेरे हिस्से के जमीन मे ही कर रही हूँ। मेरे पिताजी का नाम नाथू जी है। मेरे पांच भाई – बहिन है। जिनके नाम नारू, मांगु, प्यारी, धापु और चांदी है। यह कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त वाद वर्णित भूमियों का नामान्तरण भाईयों के नाम खुला है। उक्त पैतृक भूमि में कानूनन मेरा और मेरे बहिनों का हिस्सा बनता है। अतः वादग्रस्त भूमियों में मेरा और मेरी बहिनों का नाम जोड़ा जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

इसी प्रकार वादिया धापु ने कथन किया कि मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित तथ्य सही एवं सत्य है। हमारे पुश्तैनी जमीन ग्राम मटुनिया में स्थित है। अनपढ़ होने से उनके नम्बर में नहीं जानती हूँ हम बहिने अपने हिस्से पर अलग रूप से काबिज है। हमारे पिताजी के मरने के बाद काबिज हाकर काश्त लाभ ले रहे है। तथा बहिनों के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण नहीं खुला। जिससे उक्त दावा पेश करना पड़ा। उक्त पैतृक भूमि में हमारा जन्म से ही हक व अधिकार है।

जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी के दौरान भी उक्त गवाह ने वही बाते दौहराई जो उसने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन की। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी रिबेटल रिजर्व रखते हुये बंद किये जाने पर वादपत्र में साक्ष्य प्रतिवादी प्रारंभ की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से दिनांक 07.02.2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रतिवादी के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी रिबेटल रिजर्व बंद की जाकर वादपत्र में बहस सुनाये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष कारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादियागण ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीयागण द्वारा प्रस्तुत प्ररतुत प्रस्तुत जमावंदी संवत् 2031–2034 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2, चालु जमावंदी संवत् 2073–76 प्रदर्श –3, नामान्तरण संख्या 75 प्रदर्श –4 वादीयागण ने प्रार्थना की है कि ग्राम मटुणिया तहसील सहाड़ा की बेरून हल्का आबादी में रिथत साविक नं0 के नंये नम्बर आराजी संख्या 594/2019 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1336 रकबा 0.35 हे0, आराजी [illegible] 1339 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.05 हे0, आराजी [illegible] रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1665 रकबा 0.26 [illegible] रकबा 0.37 हे0, आराजी संख्या 1670 रकबा 0.26 [illegible] 1671 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1672 रकबा 0.2 हे0, आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 1793 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1794 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 1795

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) [illegible] भीलवाड़ा (राज.)

हस्ताक्षर [illegible]

Scanned with CamScanner

रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1971 रकबा 0.72 हे0, आराजी संख्या 1973 रकबा 0.30 हे0, आराजी संख्या 1974 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 1975 रकबा 0.28 हे0, आराजी संख्या 1976 रकबा 0.27 हे0, आराजी संख्या 1977 रकबा 0.93 हे0, आराजी संख्या 1979 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 2022 रकबा 0.35 हे0, आराजी संख्या 2076 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 26 कुल रकबा 6.42 हे0 एवं आराजी संख्या 1664 रकबा 0.30 हे0 बने जिसके खाता संख्या कमशः 115, 121 में हम वादीयागण पृथ्कतः 1/6 – 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। वादीयागण खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जावे।

एवं साथ ही वादीयागण मृतक नाथू की पुत्रीयां होकर प्रथम श्रेणी की वारीसान है, एवं इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 केवल प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर गलत रूप से खोल दिया गया है, जिससे इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 ग्राम पंचायत उल्लाई विधि के विपरीत होने से खारिज किये जाने की घोषणा कराई जावें।

जवाब में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है वादियागण के हक व हिस्से अनुसार वादपत्र वादियागण स्वीकार किये जाने पर हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने बहस अधिवक्तागण पक्षकारान पर गनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बयान गवाहान का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

<u>तनकी नम्बर – 1 , 2 व 3</u>

तनकी नम्बर – 1, 2 व 3 को साबित कराने का भार वादीयागण पर था। वादियागण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2031–2034 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2, चालु जमाबंदी संवत् 2073–76 प्रदर्श –3, नामान्तरण संख्या 75 प्रदर्श –4 किये जिससे जाहिर हुआ कि वादीयागण वादवर्णित आराजियात में वारिसान होने से हक व हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार हाने की अधिकारी है अतः तनकी नं. 1, 2 व 3 वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर – 4</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर – 4 को साबित कर[illegible] का [illegible] प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 6 पर था। प्रतिवादी द्वारा [illegible] की [illegible] दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कराये [illegible] साबित होता हो कि उसके द्वारा वादीयागण की खातेदारी भूमि पर नाजायज [illegible] नही कर रखा हो। अतः तनकी नं. 4 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 6 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

चूंकि वादपत्र की समस्त तनकिया वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतएवं

:: आदेश::

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 रा.टि.ए. बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम मटुणिया तहसील सहाड़ा की बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 594/2019 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1336 रकबा 0.55 हे0, आराजी संख्या 1339 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 1649 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1665 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1668 रकबा 0.37 हे0, आराजी संख्या 1670 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1672 रकबा 0.2 हे0, आराजी संख्या 1693 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 1793 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1794 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 1795 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1971 रकबा 0.72 हे0, आराजी संख्या 1973 रकबा 0.30 हे0, आराजी संख्या 1974 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 1975 रकबा 0.28 हे0, आराजी संख्या 1976 रकबा 0.27 हे0, आराजी संख्या 1977 रकबा 0.93 हे0, आराजी संख्या 1979 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 2022 रकबा 0.35 हे0, आराजी संख्या 2076 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 26 कुल रकबा 6.42 हे0 एवं आराजी संख्या 1664 रकबा 0.30 हे0 जिनके खाता संख्या कमशः 115, 121 में वादीयागण को पृथ्कतः 1/6 – 1/6 हिस्से का एवं मृतक मांगु के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5/1 लगायत 5/3 एवं प्रतिवादी संख्या 6 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

एवं इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 ग्राम पंचायत उल्लाई विधि के विपरीत होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली) 25/09/2020
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 12/2018 (2018/00166) दायर दिनांक 17.01.2018
वाद अन्तर्गत धारा 88,89 92क,188 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. श्रीमती प्यारी पुत्री नाथू कुमावत पत्नि जालूराम निवासी मटुनिया हाल निवासी चावण्डिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. श्रीमती धापुबाई पुत्री नाथू कुमावत पत्नि खेमा कुमावत निवासी मटुनिया हाल निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती चांदी देवी पुत्री नाथू कुमावत पत्नि मोडा कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वदीयागण

बनाम

1. भैरूलाल पिता नारू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. बंशीलाल पिता नारू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. जमनी पुत्री नारू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. मांगु पिता नाथू कुमावत निवासी मटुनिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. मांगु पिता कजोड़ कुमावत फौत के बजाए–
   5/1 कंकु बेवा मांगु कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
   5/2 कालु पिता मांगु कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
   5/3 राजु पिता मांगु कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
6. डालु पिता कजोड़ कुमावत निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा [illegible]र।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति:–अधिवक्ता वादीगण:– श्री गणपत राणवा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण:–श्री हेमेन्द्र सुवालका (प्रति सं0 1,2,3,6)
श्री राजमल तिवारी (प्रति सं0 5/1 से 5/3)
पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 12/2018 (2018/00166)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89 92क,188 आर.टी.ए.

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत राणवा, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सुवालका, राजमल तिवारी एंव पेरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज 04.09.2020को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि ----×------ और इस वाद के खर्च लेखे ----×------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ----×------ द्वारा ----×------ को दी जाए।

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 रा.टि.ए. बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम मटुणिया तहसील सहाड़ा की बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 594/2019 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1336 रकबा 0.55 हे0, आराजी संख्या 1339 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 1649 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1665 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1668 रकबा 0.37 हे0, आराजी संख्या 1670 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 1671 रकबा 0.24 हे0, आराजी संख्या 1672 रकबा 0.2 हे0, आराजी संख्या 1693 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 1694 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 1695 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 1793 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1794 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 1795 रकबा 0.02 हे0, आराजी संख्या 1971 रकबा 0.72 हे0, आराजी संख्या 1973 रकबा 0.30 हे0, आराजी संख्या 1974 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 1975 रकबा 0.28 हे0, आराजी संख्या 1976 रकबा 0.27 हे0, आराजी संख्या 1977 रकबा 0.93 हे0, आराजी संख्या 1979 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 2022 रकबा 0.35 हे0, आराजी संख्या 2076 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 26 कुल रकबा 6.42 हे0 एवं आराजी संख्या 1664 रकबा 0.30 हे0 जिनके खाता संख्या कमशः 115, 121 में वादीयागण को पृथ्कतः 1/6 – 1/6 हिस्से का एवं मृतक मांगु के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5/1 लगायत 5/3 एवं प्रतिवादी संख्या 6 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

एवं इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 05.10.1977 ग्राम पंचायत उल्लाई विधि के विपरीत होने से खारिज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार भूमि वादीयागण के नाम राजस्व रेकार्ड मे हिस्से अनुसार दर्ज की जावें खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:15 IST
Reason: SelfAttested

डिकी आज दिनांक 25.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

25/09/2020

Scanned with CamScanner